

सं:1:05:सीएस:एम एवं ए

दिनांक: 31.12.2018

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड लिस्टिंग विभाग, एक्सचेंज प्लाजा, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पू), मुंबई-400 051	बंबई स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, कॉर्पोरेट सेवाएं विभाग, मंजिल-25, पी. जे. टावर्स, दलाल स्ट्रीट, मुंबई-400 001
---	--

विषय: सेबी (एलओडीआर) 2015 के विनियम 30 के अनुसार प्रकटन एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली के दिनांक 26.12.2018 के आदेश के अनुसार समाचार-पत्र प्रकाशन

यह सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 30 के संदर्भ में है। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (अंतरिती कंपनी) एतद्वारा सूचित करता है कि माननीय कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली के दिनांक 26.12.2018 के आदेश द्वारा निदेश दिया गया है कि माननीय कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा समामेलन की योजना को अनुमोदन देने हेतु निर्धारित अंतिम तारीख अर्थात 18 जनवरी 2018 से पहले अंतरिती कंपनी के स्टैकधारकों द्वारा किसी भी प्रकार की असम्मति/टिप्पणी/अवलोकन हेतु समाचार विज्ञप्ति प्रकाशित की जाए। तदनुसार, यह समाचार विज्ञप्ति दिनांक 29 दिसंबर 2018 को "फाइनेंशियल एक्सप्रेस" (अंग्रेजी) एवं "जनसत्ता" (हिन्दी) में प्रकाशित की गई है।

सूचना एवं रिकॉर्ड हेतु प्रस्तुत।

माननीय कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली के दिनांक 26.12.2018 का आदेश एवं समाचार विज्ञप्ति की प्रति संलग्न है।

धन्यवाद,

भवदीय,
कृते पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

(मनोहर बलवानी)
कंपनी सचिव
mb@pfcindia.com